रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 1987/श्रावण 20, 1909
No. 413] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 1987/SRAVANA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1987

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 702(अ):—भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की सा. का. नि. 674(अ) दिनांक 27-7-87 की अधिसूचना के हिन्दी पाठ मे पृष्ठ 1, पैरा 3, नियम 474 की 10वीं

पंक्ति में "उक्त नियम के नियम 51 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्" के स्थान पर "4. उक्त नियम के नियम 519(क) में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात्" पढ़ा जाएगा ।

[सं. 3-6/80-आर]

के० एस० के० मूर्ति, उप महानिदेशक (सीएस) और पदेन संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987